न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

जगदीश गिरि बनाम सीताराम ठाकुर वगैरह

वाद संख्या – 97 / 2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.09.23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के जगदीश गिरि पिता गिरधारी गिरि के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि भुदान से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है ग्राम + मौजा – खटैया, थाना – बगोदर, खाता नं0 –32, प्लॉट नं0 – 367, रकबा – 20 डी0, चौहदी उ0 – उगन महतो वगैरह, दं0 – मांगी गिरि, पू0 – विशुन ठाकुर, पं0 – रोड। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष को बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी से वर्ष 1971 को गिरिधारी गिरि पिता स्व0 लाखो गिरि के नाम से हासिल है। जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर के पंजी *II* पेज नं0 – 91 भाग संख्या – 1 से रैयत गिरघारी गिरि के नाम पर कायम है तथा प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बतलाया गया कि वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा बल पूर्वक निर्माण कर रहें है। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के पट्टे कि छायाप्रति, ऑफलाई एवं ऑनलाईन पंजी *II* कि छायाप्रति, ऑनलाईन मालगुजारी रसीद संख्या – 0632392995 कि छायाप्रति दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा	

दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि विशुन ठाकुर बिहारी ठाकुर को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से मोजा – खटैया के अन्तर्गत खाता नं0 – 32, प्लॉट नं0 – $\frac{346}{2}$ रकबा – 89 डी0 प्लॉट नं0 – $\frac{367}{6}$ रकबा – 60 डी0 चौहदी उ0 – उगन महतो, दं0 – बिहारी ठाकुर, पु0 – तेजो ठाकुर, पं0 – गिरधारी गिरि एवं प्लॉट नं0 – $\frac{38}{9}$ रकबा – 20 डी0 एवं प्लॉट नं0 – $\frac{38}{17}$ रकबा – 1 एकड कुल रकबा – 2 एकड 69 डी0 हासिल है जिसपर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अह भी बताया गया कि प्रथम पक्ष के जगदीश गिरि के द्वारा माननीय न्यायालय गिरिडीह में ओरिजन सुट संख्या – 124/2023 लम्बित है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी का पर्चा ओरिजन सुट संख्या – 124/23 ~~के~~ की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी बगोदर के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया अवलोकन के पश्चात प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का मामला सक्षम न्यायालय में लम्बित है।

साथ ही इसका उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया $[Appeal\ (Crl.)401\ of\ 2004]$ कहा है कि $"\ldots\ldots more\ preventive\ in\ nature\ and\ not\ punitive\ in\ their\ effect\ and\ consequences"$. अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.09.14 12:31:20 +05:30
Location: 192.168.1.13

लेखापित।

6/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

6/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया